



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपरस्पेशलिटी विभाग के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक के कुल 220 (दो सौ बीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

सहायक प्राध्यापक पद हेतु रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नवत है:-

क्र.सं.	विज्ञापन संख्या	विभाग का नाम	रिक्त की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1.	01 / 2024	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	08	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एमसीएच/डीएनबी
2.	02 / 2024	कार्डियोलॉजी	19	डीएम/डीएनबी (कार्डियोलॉजी)
3.	03 / 2024	न्यूरो सर्जरी	22	एमसीएच/डीएनबी (न्यूरो सर्जरी)
4.	04 / 2024	न्यूरोलॉजी	22	डीएम/डीएनबी (न्यूरोलॉजी)
5.	05 / 2024	नेफ्रोलॉजी	24	डीएम/डीएनबी (नेफ्रोलॉजी)
6.	06 / 2024	इन्डोक्राइनोलॉजी	03	डीएम/डीएनबी (इन्डोक्राइनोलॉजी)
7.	07 / 2024	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	07	डीएम/डीएनबी (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)
8.	08 / 2024	नियोनेटोलॉजी	08	डीएम/डीएनबी (नियोनेटोलॉजी)
9.	09 / 2024	प्लास्टिक सर्जरी	26	एमसीएच/डीएनबी (प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी)
10.	10 / 2024	शिशु सर्जरी	03	एमसीएच/डीएनबी (पीडीयाट्रिक सर्जरी)
11.	11 / 2024	यूरोलॉजी	06	एमसीएच/डीएनबी (यूरोलॉजी)
12.	12 / 2024	क्रिटिकल केयर मेडिसिन	35	डीएम/डीएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)
13.	13 / 2024	वाइरोलॉजी	21	डीएम/डीएनबी (वाइरोलॉजी)
14.	14 / 2024	गाइनीकोलॉजीकल ऑन्कोलॉजी	04	एमसीएच/डीएनबी (गाइनीकोलॉजीकल ऑन्कोलॉजी)
15.	15 / 2024	मेडिकल ऑन्कोलॉजी	04	डीएम/डीएनबी (मेडिकल ऑन्कोलॉजी)
16.	16 / 2024	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	04	एमसीएच/डीएनबी (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी)
17.	17 / 2024	Preventive Oncology	04	M.D./D.N.B. (Preventive & Social Medicine) Minimum 3 years post M.D./D.N.B experience in preventive oncology in a Teaching Hospital..
कुल योग			220	

नोट:- (i) राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपरस्पेशलिटी विभाग के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है।

नोट:- (ii) सुपरस्पेशलिटी विभागों के लिए विषय विशेष में स्नातकोत्तर डिग्री एवं डी.एम./डी.एन.बी. (सुपरस्पेशलिटी) अथवा सीधे 05 वर्ष का एम.सी.एच. डिग्री या 05 वर्ष का डी.एम. डिग्री।

- वेतनमान** - अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- एवं ग्रेड पे-6600 तथा सातवें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर-11
- उम्र सीमा** - दिनांक 01.08.2023 को अनारक्षित (पुरुष)-45 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 50 वर्ष। बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा-50 वर्ष होगी।
 - कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी विभाग के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2017 से 01.08.2023 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्त वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।
 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार

द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. चयन का आधार-

(i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्न रूपेण मूल्यांकन आवंटित किए जाएंगे -

(क)	एम.बी.बी.एस. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
		5	4	3	2	1

नोट:-(a) एक अथवा एक से अधिक एम.बी.बी.एस. परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण के मामले में खास एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषयों में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

नोट:-(b) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ0एम0जी0ई0) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।

(ख)	भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसाओं के अनुसार आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
		5	4	3	2	1

नोट:-आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

(ग)	एम.डी./एम.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता	-	10 अंक
(घ)	उसी स्पेशलिटी में पीएच.डी., डी.एम. एम.सीएच.	-	10 अंक
(ङ)	साक्षात्कार	-	06 अंक
(च)	सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)	-	10 अंक

नोट:-(a) राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान, जो एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो) क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी। सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु संस्थानों की सूची आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट:-(b) ऐसे एम.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

(ii) एम.बी.बी.एस. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता परीक्षा के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुये हों, वे पात्र नहीं होंगे।

- (iii) निम्नवर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मुख्य लेखक तभी माना जाएगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- (क) अधिकतम 10 अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।

शोध प्रकाशन केवल ऐसे मूल पेपर, मेटाविश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जायेगा, जो मेडलाईन पबमेड सेन्द्रल, साईस साइटेशन इंडेक्स, साईस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पेंडिड एम्बेस, स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

Co-Author को अंक देय होगा एवं **Accepted for Publication** के लिए भी अंक देय होगा।

- (iv) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (v) एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी., डी.एम., डीएन.बी., एम.सी.एच. (Super Speciality) की डिग्री एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों से होनी चाहिए।
- (vi) अभ्यर्थी अपने एन.एम.सी. अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर से प्राप्त निबंधन प्रमाण-पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि करा लें।

5. आवश्यक निर्देश:-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, अन्य योग्यता तथा आरक्षण से संबंधित सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28.01.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:-(2) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
2. डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी./एम.एस./एम.डी. प्रमाण-पत्र।
3. चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो।
4. एम.बी.बी.एस. प्रमाण पत्र।
5. एम.बी.बी.एस. की सभी परीक्षाओं/सत्र का उत्तीर्ण अंक पत्र।
6. एम.बी.बी.एस. की सभी परीक्षाओं/सत्र का अनुत्तीर्ण अंक पत्र (अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में)।
7. एम.बी.बी.एस. के सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने संबंधी अवसर प्रमाण पत्र (Attempt Certificate)।
8. विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना हेतु विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ.एम.जी.ई.) से संबंधित प्रमाण-पत्र।
9. पीएच.डी. प्रमाण-पत्र।
10. सभी प्रकाशित जर्नल्स की प्रति।
11. एन.एम.सी. अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र।
12. एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी., डी.एम., डीएन.बी., एम.सी.एच. (Super Speciality) की डिग्री एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त है। इस आशय का संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र।
13. बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा में छूट के लिए तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
14. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (उम्र सीमा में छूट के लिए)
15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए)।
16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए)।



17. बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए) (सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या -15760, दिनांक-02.09.2022 के अनुसार)।
18. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए)।
19. बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
20. भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
21. केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
22. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
23. हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।
24. ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

6. शुल्क:-

अभ्यर्थियों को Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा विज्ञापनवार अलग-अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 100/- (एक सौ) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 25/- (पच्चीस) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 25/- (पच्चीस) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 25/- (पच्चीस) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 100/- (एक सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा।

- (2) वैसे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं बिहार राज्य के स्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	17.01.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	28.01.2024

- (ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

2


- (iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, अन्य योग्यता तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए साक्षात्कार आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।
- (A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही हैं। Payment के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Registration में की गयी प्रविष्टि में Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- नोट:- Application Form Submit करने के उपरान्त Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- (B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।
- नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (v) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (vi) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (x) इस साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (xi) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

8. महत्वपूर्ण निर्देश :-

अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।



9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अम्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अम्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अम्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
10. शैक्षिक परीक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
12. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।


08/01/24
अधीन निर्यंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।